



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)
CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

संयुक्त घोषणा प्रपत्र

JOINT DECLARATION FORM

यह प्रमाणित किया जाता है कि आचार्य/डॉ./श्री/श्रीमती/सुश्री....., गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गाँधीनगर में..... के रूप में कार्यरत हैं और में के रूप में कार्यरत आचार्य/डॉ./श्री/श्रीमती/सुश्री..... पति-पत्नी हैं तथा दोनों सरकारी संस्थान में नियोजित हैं जहाँ छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी), चिकित्सा, संतान शिक्षा भत्ता (सीईए) इत्यादि की प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाती है। हम संयुक्त रूप से वचन देते हैं कि हमारे द्वारा नीचे दी गई तालिका के अनुसार उपरोक्त सुविधाओं का लाभ उठाया/ दावा किया जाएगा:

It is to certify that we, Prof./Dr./Sh./Ms. _____, working at Central University of Gujarat, Gandhinagar as _____ and Prof./Dr./Sh./Ms. _____, working at _____ as _____ are husband and wife and both are employed in the Government entity, wherein facility for reimbursement of LTC, Medical, CEA, etc. exists. We jointly undertake that following facilities shall be availed / claimed by us as under:

क्रं. सं. Sl. No.	सुविधा का प्रकार Type of Facility	दावा करने वाले व्यक्ति का नाम Who shall Claim	आश्रितों की संख्या Number of Dependents	कर्मचारी से संबंध Relationship with the Employee
1.	छुट्टी यात्रा रियायत /LTC			
2.	चिकित्सा /Medical			
3.	संतान शिक्षा भत्ता /CEA			
4.	अन्य/ Misc.			



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)
CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रमाणपत्र/घोषणा हमारी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। किसी भी परिवर्तन/संशोधन की स्थिति में, हम तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करेंगे। उपरोक्त जानकारी से किसी भी विसंगति की स्थिति में, मैं/हम विसंगति के कृत्यों की चूक/विचारण के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

Certified that the above certificate / declaration is true and correct to the best of our knowledge. In the event of any change / modification, we shall immediately inform the authorities concerned. In case of any deviation from the above, I / we shall be personally responsible for the omission / commission of the acts of deviation.

(गुकेवि के कर्मचारी के हस्ताक्षर)

(Signature of the CUG Employee)

नाम/Name: _____

स्थान/Place: _____

दिनांक/Date: _____

(पति/पत्नी के हस्ताक्षर)

(Signature of Spouse)

नाम/Name: _____

संबंधित प्रतिष्ठान के कार्यालय के प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर:

Counter Signature of the Head of the Office of the concerned establishment:

(मोहर सहित दिनांकित हस्ताक्षर)

(मोहर सहित दिनांकित हस्ताक्षर)

(Dated Signature with seal)

नाम/Name: _____

कार्यालय प्रमुख/डीडीओ, गु.के.वि., गाँधीनगर

Head of Office/DDO, CUG, Gandhinagar.

(Dated Signature with seal)

नाम/Name: _____

कार्यालय प्रमुख/डीडीओ

Head Office / DDO



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)
CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

महत्वपूर्ण सूचना/**IMPORTANT NOTES:**

1. परिवार घोषणा प्रपत्र के साथ पति/पत्नी के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त घोषणा की स्वीकृति प्रस्तुत की जानी चाहिए।

Acceptance of the above declaration by the Competent Authority of the Spouse's office should be submitted along with the family declaration form.

2. संयुक्त घोषणा पत्र की दो प्रतियाँ (मूल रूप में) दावेदार (पति/पत्नी) के कार्यालय में जमा की जानी आवश्यक हैं और उसी की एक प्रति पति/पत्नी के कार्यालय में रिकॉर्ड हेतु सुरक्षित रखी जानी आवश्यक है।

The Joint Declaration form in two copies (in original) is to be submitted separately in the office of the claimant (Husband/Wife) and a copy of the same is to be retained in the office of the spouse (Husband/Wife) or vice-versa for records.

3. भविष्य में घोषणा में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में, संयुक्त रूप से इसके बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

In case of any changes in declaration in future, the same should also be intimated jointly.

4. आश्रित माता-पिता की आय केंद्र सरकार के विनियमों में निर्धारित न्यूनतम पारिवारिक पेंशन (अर्थात ₹9000/- प्रति माह) से अधिक नहीं होनी चाहिए और उस पर महंगाई राहत पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर मानी जाएगी।

The Income of the dependent parent should not exceed the amount of minimum family pension prescribed in Central Government regulations (i.e. Rs.9000/- p.m.) and dearness relief thereon is deemed to be wholly dependent on Government Servant.